राजस्थान सरकार वित्त विभाग (जीएण्डटी अनुभाग)

क्रमांक : प. 1(5)वित्त / साविलेनि / 2010पार्ट – ।

जयपुर, दिनांक : 62.09.2016

आदेश

विषय: राजस्थान कोषागार नियम, 2012 में संशोधन।

भारत के संविधान की धारा 283 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 में निम्न प्रकार संशोधन किये जाने के आदेश एतद्द्वारा प्रदान करते है:—

The existing Rule 98 of Rajasthan Treasury Rules, 2012 shall be substituted as under:-

"Rule 98. No withdrawals shall be permitted from a personal deposit account which has not been operated continuously for preceding five financial years. During the month of April every year the Treasury Officer shall review the Personal Deposit Accounts in operation at the treasury and sub-treasuries under its control and prepare a list of accounts which have remained inoperative continuously for preceding five financial years.

Treasury Officer shall give 'Notice of Closure' to every such account holder by Registered Post. Treasury Officer shall close a P.D. Account when (i) he receives positive reply from the account holder, (ii) when no reply is received within 30 days of such notice issued. If any account holder denies the closure request, then the matter be sent to FD (W&M) through Director, Treasuries & Accounts for decision alongwith necessary informations.

The balance of the account to be closed shall be transferred to the credit of Budget Head:

0075 - Miscellaneous General Services

101 - unclaimed amount.

The detail of such personal deposit account shall be sent to government in Finance (Ways & Means) Department indicating name and number of Personal Deposit Account, date of last operation of account, date of last notice issued, date of closing of personal deposit account and balance which has been transferred to the above mentioned head.

Note: The provision relating to ban on withdrawal of funds from P.D. Accounts which have not been operated continuously for preceding five years, shall not apply in case of interest-bearing accounts."

आज्ञा से,

﴿रामावतार शर्मा)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :--

- 1. निजी सचिव, राज्यपाल / मुख्यमंत्री / समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण ।
- 2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
- 3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
- 4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
- 5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
- 6. संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
- 7. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
- 8. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
- 9. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) / (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
- 10. समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर / संभागीय आयुक्त ।
- 11. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर I
- 13. समस्त कोषाधिकारी
- 14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
- 15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
- 16. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश / परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके ।
- 17. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

(हरीश लंड्ढा) मुख्य लेखाधिकारी

(RTR, 2012 - 2/2016)